14.07.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।
लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर 'खारिज' किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

14/7/25
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर